

पर्चा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

प्र०रा० 360/2025

1 सतपाल पुत्र लीलूराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़  
वादी

1. लीलूराम पुत्र मनीराम वनाम् जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी
2. दुलीचन्द पुत्र लीलूराम जिला हनुमानगढ़ ।
3. माया पुत्री लीलूराम पत्नी सुरजपाल जाति मेघवाल निवासी रिसालिया खेड़ा तहसील रानियां जिला सिरसा ।
4. रेशनी देवी पुत्री लीलूराम पत्नी हंसराज जाति मेघवाल निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
5. भागवन्ती पुत्री लीलूराम पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति मेघवाल निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।


प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 14/8/25



आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नैण व प्रतिवादी वकील परमजीतसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं० 5 एन. के. एस के खाता सं० 140/135 में अंकित 1. 012 है० में से लीलूराम का 1/4 हिस्सा, इसी चक के खाता सं० 141/134 में अंकित 0.253 है० आराजी मे से लीलूराम का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 2 दुलीचन्द के नाम से दर्ज चकनं० 5 एम. के. एस के खाता सं० 90/125 में कुल 0253 है० आरांजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक चकनं० 5 एम. के. एस के खाता सं० 90/125 मे से दुलीचन्द का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं० 141/134 व इसी चक के खाता सं० 140/135 मे से लीलूराम का नाम कलमंजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/8/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण) (S.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।